(आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 31281/78) O.I.G.S. डाक पंजीयन क्रमांक जयपुर सिटी/205/2024-26

राजस्थान रोज़गार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 48 अंक 7 (Website:http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in) 15 मई, 2025 मूल्य: 3.00 वार्षिक शुल्क 60रु

राजस्थान में शुरू हुई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY 2.0)

RSLDC ने जारी किया EoI: ग्रामीण युवाओं को मिलेगा नया भविष्य

-नेहा दीक्षित

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के प्रथम चरण की सफलता के बाद योजना का द्वितीय चरण "DDU-GKY 2.0" आरम्भ किया गया है। इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम' (RSLDC) ने Expression of Interest (EoI) आमंत्रित किया है। इससे राजस्थान से हजारों युवाओं को उनके कौशल और योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त होगा।

क्या है DDU-GKY?

DDU-GKY केंद्र सरकार की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष तक के ग्रामीण युवाओं को इंडस्ट्री-रेडी प्रशिक्षण देना और उन्हें रोजगार से जोड़ना है। इस योजना के प्रथम चरण में देशभर में लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी भी मिली।

अब योजना के दूसरे चरण "DDU-GKY 2.0" में तकनीकी उन्नयन, मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजिटल प्रशिक्षण और उद्योग की नई आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही, योजना को राज्यों के सहयोग से और ज्यादा प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।

राजस्थान में योजना का आगाज

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के प्रथम चरण की सफलता के बाद अब केंद्र सरकार ने इस योजना का नया संस्करण "DDU-GKY 2.0" लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पहले से भी अधिक प्रभावी ढंग से ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का राजस्थान में विधिवत आगाज हो गया है और राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (RSLDC) ने इसके तहत प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों के चयन हेतु EoI (Expression of Interest) जारी किया है।

पहले चरण में, DDU-GKY के माध्यम से लाखों ग्रामीण युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण और प्लेसमेंट की सुविधा मिली थी, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। अब योजना के दूसरे चरण में, "DDU-GKY 2.0" को और अधिक आधुनिक तकनीकों, उद्योग की बदलती जरूरतों और डिजिटल प्रशिक्षण विधियों के साथ लागू किया जा रहा है।

योजना की विशेषताएं

- **नि:शुल्क प्रशिक्षण:** सभी लाभार्थियों को नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- **प्रमाणन और गुणवत्ता:** सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता Framework (NSQF) पर आधारित है।
- **रोजगार के अवसर:** प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद युवाओं को प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाएगी।
- **नई तकनीकों का समावेश:** डिजिटल स्किल्स, एआई, ई-कॉमर्स, हेल्थकेयर, ग्रीन जॉब्स, हॉस्पिटैलिटी आदि नए क्षेत्रों को योजना में जोड़ा गया है।
- **समावेशी दृष्टिकोण:** महिला, दिव्यांग और वंचित वर्ग के युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
- **मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग:** योजना में आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किए गए हैं।

RSLDC के प्रयास

RSLDC ने योजना के सफल संचालन के लिए इच्छुक प्रशिक्षण भागीदारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। EoI दस्तावेज में पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और समयसीमा का स्पष्ट विवरण दिया गया है। इच्छुक संस्थाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और चयन के बाद उन्हें जिलेवार प्रोजेक्ट्स आवंटित किए जाएंगे।

RSLDC के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और परिणाम-आधारित दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र की नियमित निगरानी की जाएगी और प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट को ट्रैक किया जाएगा।

क्यों जरूरी है यह योजना?

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारी की स्थिति में हैं। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से गुजरने के बावजूद वे उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित नहीं हो पाते। DDU-GKY 2.0 जैसे कार्यक्रम इन युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे न केवल उनकी आजीविका सुधरती है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है।

उद्योगों से भागीदारी की अपेक्षा

RSLDC ने राज्य के कॉरपोरेट्स, औद्योगिक इकाइयों और प्रशिक्षण संगठनों से भी इस योजना में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उद्योग अपनी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करवा सकते हैं और प्रशिक्षित युवाओं को सीधे रोजगार भी प्रदान कर सकते हैं। इससे स्किल गैप की समस्या दूर होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बल मिलेगा।

आवेदन की अंतिम तिथि

EoI के तहत आवेदन की अंतिम तिथि RSLDC की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। इच्छुक संस्थानों को समय पर आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सभी चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, प्रशिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम की योजना और प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

निष्कर्ष:

DDU-GKY 2.0 की शुरुआत राजस्थान के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह योजना न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि राज्य के कौशल परिदृश्य को भी एक नई दिशा देगी। RSLDC की ओर से जारी EoI इस दिशा में एक ठोस कदम है, जिससे देश के कौशल विकास मानचित्र पर राजस्थान और भी मजबूती से उभर सकता है।

लेखिका RSLDC में पीआर और आईईसी सलाहकार के पद पर कार्यरत है।

CISF
संरक्षण एवं सुरक्षा

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

सूचना

के.औ.सु.ब. में खेल कोटा के अधीन प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर उत्कृष्ट महिला खिलाड़ियों (हॉकी स्पर्धा) की भर्ती-2025

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः 11/05/2025 से 30/05/2025 तक

अंतिम तिथि : 30/05/2025 (23.59 बजे तक)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र **भारतीय महिला नागरिकों से पे लेवल-4 (रु. 25,500 से 81,100/-) में तथा केन्द्र सरकार** के कर्मचारियों को समय-समय पर देय सामान्य भत्तों सहित **खेल कोटा-2025 (हॉकी स्पर्धा)** के अधीन **प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की 30 रिक्तियों** को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं. उनकी नियुक्ति होने पर, वे केऔसुब अधिनियम एवं नियमों के साथ-साथ, समय-समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली द्वारा अधिशासित होंगे. वे 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में ज्ञात **''परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली''** के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे. भर्ती प्रक्रिया में, ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षण होंगे. भर्ती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

	1.1	आवेदन पत्रों को केवल "ऑनलाइन" माध्यम से स्वीकार किया जाएगा.
	1.2	**भर्ती में निम्नलिखित 2 चरण होंगे:-** **1. प्रथम चरण** **क)** ट्रायल परीक्षण. **ख)** दक्षता परीक्षण. **ग)** शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) **और** **घ)** दस्तावेजीकरण. **2. दूसरा चरण**. चिकित्सा परीक्षण
	1.3	खेल कूद के मूल प्रमाण-पत्रों सहित अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा.
	1.4	खेल कोटे (हॉकी स्पर्धा) के अधीन प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की रिक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जाएगा.
	1.5	अंतिम परिणाम को दक्षता परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित किए गए अंकों के और अभ्यर्थियों द्वारा ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, चिकित्सा परीक्षण और इस अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों में अर्हता प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित खेल कूद की गतिविधियों में उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र/उपलब्धि वाले अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए अंकों के आधार पर घोषित किया जाएगा.
	1.6	अभ्यर्थियों को भर्ती के सभी चरणों के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र केऔसुब की भर्ती वेबसाइट **https://www.cisfrectt.cisf.gov.in** पर **केवल ऑनलाइन माध्यम** से जारी किए जाएंगे, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा और इन्हें डाक से नहीं भेजा जाएगा. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केऔसुब की भर्ती वेबसाइट को भर्ती प्रकिया पर किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से देखें. अभ्यर्थियों को अपने बुलावा/प्रवेश-पत्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए साथ में लाना होगा.
2.		**वेतनमान** : पे लेवल-4 (रु. 25,500-81,100)
3.		**राष्ट्रीयता/नागरिकता** : अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
4.		**रिक्तियां :- केवल हॉकी स्पर्धा की महिला अभ्यर्थियों के लिए-30 पद**
	4.1	उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या संभावित है और ये भर्ती के किसी भी चरण में प्रशासनिक कारणों से बढ़ अथवा घट सकती हैं. रिक्तियों में संशोधन, यदि कोई होगा, तो उसे केऔसुब भर्ती वेबसाइट **https://www.cisfrectt.cisf.gov.in** पर अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी चरण में अधिसूचित किया जाएगा.
5.		**प्रमुख विषेषताएं:**
	5.1	आवेदन-पत्रों को केवल केऔसुब की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् **https://www.cisfrectt.cisf.gov.in** पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है. आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने का कोई अन्य माध्यम अनुमत नहीं है. **चूंकि ये पद केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं, इसलिए पुरुष अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं.**
	5.2	ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके आवेदन पत्र में उनके पहचान पत्र की सही संख्या (अर्थात् आधार संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड संख्या) भरें/दर्ज करें. उसे भर्ती के प्रत्येक चरण के दौरान परीक्षा केन्द्र पर प्रस्तुत किया जाएगा. अभ्यर्थियों का बॉयोमेट्रिक डाटा भर्ती के प्रथम चरण के दौरान रिकॉर्ड किया जाएगा और अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन करने के लिए भर्ती के आगामी चरणों में प्रयोग किया जाएगा.
	5.3	**आवदेन शुल्कः चूंकि विज्ञापन केवल महिला अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए प्रकाशित किया गया है, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.**
	5.4	नीचे यथा उल्लिखित भर्ती के सभी चरणों के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को केवल केऔसुब की भर्ती वेबसाइट अर्थात् **https://cisfrectt.cisf.gov.in** के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जिसे डाउनलोड करने की सुविधा होगी और डाक से नहीं भेजे जाएंगे. **क.** ट्रायल एवं दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) एवं दस्तावेजीकरण. **ख.** चिकित्सा परीक्षण. अभ्यर्थियों को इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वे केऔसुब की भर्ती वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** को, भर्ती प्रक्रिया संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से विजिट करें. अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र को परीक्षण/परीक्षा देते समय लाना अपेक्षित होगा.
	5.5	ये पद वर्दीधारी हैं और पूर्णतया अस्थायी हैं परंतु इनके स्थायी किए जाने की संभावना है.
	5.6	नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारतीय क्षेत्र में कहीं भी और विदेश में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे.
	5.7	अनंतिम चयन सूची में नाम आने से चयन की गारंटी नहीं मिल जाती है.
	5.8	निर्विघ्न, पारदर्शी और सही भर्ती का संचालन करने के लिए बल भर्ती के विभिन्न चरणों में पर्याप्त उपायों और आधुनिक तौर-तरीकों का पालन करेगा.
	5.9	आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में, निम्नलिखित विवरण वाले जाति प्रमाण-पत्रों को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है:-
		क) अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, इलाका/गांव/कस्बा जिससे वे संबंधित है.
		ख) उपयुक्त/ निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र.
		ग) अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के संकल्प को सही तरीके से उल्लेखित किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आरक्षित श्रेणी के अधीन अभ्यर्थी का दावा सही है.
		घ) अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति उस श्रेणी के लिए केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित केन्द्रीय सूची में शामिल है.
6.		**पात्रता मानदंड**
	6.1	शैक्षणिक अर्हताएं: किसी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान से 12वीं पास के साथ हॉकी में राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का श्रेय. (राज्य बोर्ड/केन्द्रीय बोर्ड के अतिरिक्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के साथ भारत सरकार की वह अधिसूचना संलग्न होनी चाहिए. जिसमें यह घोषित किया हो कि ऐसी योग्यता केन्द्र सरकार की सेवा के लिए 12वीं कक्षा के समकक्ष है.)
	6.2	**आयु सीमाः- 01.08.2025 को 18 से 23 वर्ष के बीच. अभ्यर्थी का जन्म 02.08.2002 से पहले और 01.08.2007 के बाद का नहीं होना चाहिए.**
	6.2.1	**विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार हैं:-**

क्र.सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से अधिक अनुमत आयु में छूट
(i)	अनुसूचित जाति/जनजाति	ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग	ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष तक
(iii)	विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्र सरकार के तहत न्यूनतम 3 वर्षों की सतत् सेवा प्रदान की है.	ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति/ अनूसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में सामान्य/आर्थिक रूप से पिछड़े/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष तक

6.3 खेलकूद के आयोजनों में सहभागिताः-

खेलकूद योग्यता	खेल कोटा के तहत प्रधान आरक्षक/जीडी पद के लिए (हॉकी स्पर्धा)
टीम आयोजन	**(i)** सीनियर/जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट एक सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो **अथवा** **(ii)** राष्ट्रीय खेलों/चैम्पियनशिप में राज्य स्तरीय टीम अथवा समतुल्य इकाई का सीनियर/जूनियर स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो **अथवा** **(iii)** अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली टीम का सदस्य रहा हो **अथवा** **(iv)** राष्ट्रीय विद्यालयी खेलों/चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हो. **टिप्पणी - खिलाड़ी को टीम का खेलने वाला सदस्य होना अनिवार्य है.**

	6.3.1	केवल वे उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं और जिन्होंने **01/01/2023 से 30/05/2025 की अवधि के दौरान संबंधित खेलों/चैम्पियनशिप में भाग लिया है, वे इस पद के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी.**
	6.3.2	आवेदन पत्र पर केवल उस प्रमाण के आधार पर ही विचार किया जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा किसी एक प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट/खेल में प्रतिनिधित्व करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है.
	6.3.3	निम्नलिखित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई चैम्पियनशिप/खेलों पर ही विचार किया जाएगा:-
		क) युवा मामले और खेल-कूद मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट.
		ख) युवा मामले और खेल-कूद विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर स्तर की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप अथवा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल.
		ग) भारतीय विश्वविद्यालय संघ /अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा.
		घ) अखिल भारतीय विद्यालय खेलकूद संघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद/ खेल.
	6.3.4	खेल प्रमाण-पत्र के अलावा, निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए प्रमाण-पत्र (प्रपत्र) भी अपेक्षित होंगे.

क्र.सं.	प्रतिस्पर्धा	प्रमाण पत्र देने वाला हॉकी संघ प्राधिकारी	नमूना
1.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा	राष्ट्रीय हॉकी संघ का सचिव.	परिशिष्ट-'क'
2.	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा	राष्ट्रीय संघ का सचिव अथवा हॉकी राज्य परिसंघ के सचिव.	परिशिष्ट-'ख'
3.	अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट	संबंधित विश्वविद्यालय के खेलों का डीन (अध्यक्ष) अथवा खेलों के समग्र प्रभार वाला अन्य पदाधिकारी.	परिशिष्ट-'ग'
4.	स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलकूद/खेल	राज्य के लोक अनुदेशों/ शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेलों/ खेलकूदों के समग्र प्रभार में निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक.	परिशिष्ट-'घ'

6.3.5 उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के अलावा, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में वास्तविक भागीदारी और उपलब्धि के आधार पर मान्यताप्राप्त फेडरेशनों/संघों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को अतिरिक्त महत्व दिया जा सकता है.

6.3.6 यदि राष्ट्रीय महासंघ/राष्ट्रीय संघ/राज्य संघ में सचिव का पद उपलब्ध नहीं है, तो हॉकी महासंघ/संघों में सचिव से वरिष्ठ या समकक्ष पद पर कार्यरत वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र भर्ती के लिए प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियों की पात्रता निर्धारण हेतु स्वीकार किए जाएंगे.

6.4 शारीरिक मानकः-

महिला अभ्यर्थियों के लिए

क) कद (पैरा 6.4.1 में उल्लिखित के अलावा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) - 153 सेमी.

ख) सीना - लागू नहीं.

6.4.1 अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शारीरिक मानक में अनुमत छूट निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	के लिए छूट	कद
		महिला
(i)	**अनुलग्नक- "VI"** के अनुसार, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा, गोरखा* और आदिवासी से संबंधित अभ्यर्थी. **उपरोक्त मानक सभी श्रेणियों अर्थात् सामान्य, आर्थिक रूप से पिछड़े, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए लागू होंगे.**	153 सेमी.
	* दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित ''मौजा'' उप प्रभाग शामिल हैं:- (1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघाटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापति जंगल-1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट-2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक हिल जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया.	
(ii)	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी.	153 सेमी.

6.5 **चिकित्सा मानकः-** चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय योग्यता का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा. अभ्यर्थी को गृह मंत्रालय के यू.ओ. संख्या ए-VI-1/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाइल संख्या ई.-32012-एडीजी(चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1-2020 (पार्ट फाइल)/1166 दिनांक 31.05.2021 के तहत जारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षा के एकीकृत दिशानिर्देश में निर्दिष्ट चिकित्सा मानकों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों को पूरा करना होगा.

टिप्पणी-I वे अभ्यर्थी जिन्होंने 30.05.2025 को आवश्यक शैक्षिक अर्हता प्राप्त नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे और इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.

टिप्पणी-II अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि उनके आयु और नाम का निर्धारण करने के लिए उनके मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा किसी समतुल्य प्रमाण-पत्र में जो जन्म तिथि और नाम दर्ज है उसे ही स्वीकार किया जाएगा. जन्मतिथि अथवा नाम में किसी परिवर्तन के किसी तदनुरूपी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

7. प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण-पत्र का प्रारूपः

7.1 अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति के आधार पर आयु में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास जाति/समुदाय का प्रमाण-पत्र हैं और वे निर्धारित तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आती हैं. इस प्रक्रिया के लिए निर्धारित तिथि आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् **30.05.2025** होगी. अभ्यर्थियों को उपरोक्त के संबंध में यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके द्वारा संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जांच किए जाने तक अनंतिम रहेगी.

7.2 वे अभ्यर्थी जो आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें **अनुलग्नक - III और IV** जैसा मामला हो, के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की उनकी स्थिति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा.

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **अनुलग्नक-V** के अनुसार आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् **30.05.2025** होगी. अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उपरोक्त के संबंध में, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता का सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रहेगी.

7.4 उम्मीदवारों को सावधान किया जाता है कि यदि उनके द्वारा किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या किसी अन्य लाभ के दावे को धोखाधड़ी पूर्ण पाया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी.

8. आवेदन कैसे करें:

8.1 आवेदन पत्रों को केऔसुब की वेबसाइट अर्थात् **www.cisfrectt.cisf.gov.in** पर ही ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना होगा. विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया इस अधिसूचना के **अनुलग्नक-I और II** को देखें. आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य माध्यम अनुमत नहीं है.

8.2 क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र का पता निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	स्पर्धा का नाम	क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र का नाम तथा पता.
1.	**हॉकी**	उप-महानिरीक्षक, केऔसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय, केऔसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी परिसर, गाजियाबाद, पोस्ट-शिप्रा सन सिटी, जिला - गाजियाबाद, राज्य-उत्तर प्रदेश - 201014 **(ई मेल : digncr@cisf.gov.in)**

8.3 **ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित है :-**

- **फोटोग्राफ को अपलोड करना -** जेपीईजी प्रारूप **(20 केबी से 50 केबी)** में **हाल ही का स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर फोटो खीचने की तिथि अंकित हो (अर्थात फोटो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)** परीक्षा के ऑनलाइन फार्म में अपलोड किया जाना है. फोटो की छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए. जिस दिन फोटो लिया गया है, वह दिनांक फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए. फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे. धुंधली तस्वीर वाले आवेदन-पत्र भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे.
- **हस्ताक्षर को अपलोड करना -** जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर. हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. **अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा.**
- **दस्तावेजों को अपलोड करना -** अभ्यर्थियों को केवल अपनी आयु और शैक्षिक अर्हता से संबंधित दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां **पीडीएफ प्रारूप में (1 एमबी से अधिक न हो) अपलोड करना अपेक्षित है.**

8.4 **ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय 30.05.2025 (23:59 बजे) है.**

8.5 **अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और वे अंतिम तिथि के दिनों में वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण इंटरनेट की संभावित विच्छेदता/लॉग-इन न होना अथवा लॉग-इन में असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें.**

8.6 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह अवश्य जांच कर लेना चाहिए कि उन्होंने प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम में सही विवरण भरे हैं. **ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन, परिशुद्धि, संशोधन अनुमत नहीं किया जाएगा.** इस संबंध में प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

8.7 अभ्यर्थियों का स्वयं का सक्रिय ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है और उस को आवेदन पत्र में भरना है, क्योंकि भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना उन्हें एसएमएस अथवा ई-मेल के माध्यम से ही दी जाएगी.

9. परीक्षा में प्रवेश:

9.1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रयुत्तर में अंतिम तिथि और समय तक आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियम और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें ट्रॉयल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण में बुलाने के लिए प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे. तदनुसार, योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले चरणों (अर्थात् चिकित्सा परीक्षा) के लिए प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे.

9.2 विभाग ट्रॉयल परीक्षण/दक्षता परीक्षण /पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच करेगा. इसलिए, अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा. अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की अपेक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं. यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी.

	9.3	अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपना नाम, जन्म तिथि और भर्ती के नाम के साथ अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल संख्या अवश्य लिखना चाहिए. इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा.
	9.4	ट्रॉयल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र केऔसुब की भर्ती वेबसाइट **www.cisfrectt.cisf.gov.in** से डाउनलोड कर सकते हैं और अभ्यर्थियों को निर्धारित भर्ती केंद्रों पर प्रवेश-पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा.
	9.5	वेबसाइट से प्रवेश-पत्र डाउनलोड न होने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को ट्रॉयल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षण से कम से कम एक सप्ताह पहले केऔसुब **हेल्पलाइन 011-24366431/ 24307933** से संपर्क करना चाहिए.
	9.6	प्रवेश पत्र के अलावा, चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित **(अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं)** हो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली-भांति प्रिन्ट की हुई हो जैसे आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला अन्य पहचान पत्र लाना अनिवार्य है.
	9.7	यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्डों द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा. प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
	9.8	प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य किसी दस्तावेज को भी अभ्यर्थियों द्वारा बाद के चरणों में शामिल होते समय प्रस्तुत करना होगा.
10.	**भर्ती प्रक्रियाः**	
		भर्ती के विभिन्न चरण निम्नलिखित क्रम के अनुसार आयोजित किए जाएंगेः-
		1. प्रथम चरण **क)** ट्रायल परीक्षण. **ख)** दक्षता परीक्षण. **ग)** शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) **घ)** दस्तावेजीकरण. **2. दूसरा चरण** **चिकित्सा परीक्षण** सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक स्वयं को पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और क्रम में पाए जाते हैं, उन्हें भर्ती के प्रथम चरण अर्थात ट्रॉयल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और दस्तावेजीकरण के लिए बुलाया जाएगा. इसलिए, परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थियों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे इस सूचना में निर्धारित अपनी पात्रता को सत्यापित करें.
	10.1	**ट्रायल परीक्षणः-**
	10.1.1	रिपोर्ट करने पर सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित की जाएगी.
	10.1.2	भर्ती के दौरान, प्रतिरूपण से बचने के लिए, अभ्यर्थियों का बॉयो-मैट्रिक (एलटीआई) पंजीकरण किया जाएगा. अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित करने के लिए भर्ती के बाद के चरणों अर्थात् चिकित्सा परीक्षा और प्रशिक्षण केन्द्र में रिपोर्ट के समय बॉयो-मैट्रिक पंजीकरण का उपयोग किया जाएगा.
	10.1.3	बायोमैट्रिक (एलटीआई) पंजीकरण के बाद, सभी अभ्यर्थियों को ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और दस्तावेजीकरण के लिए अपनी लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी.
	10.1.4	पहचान के सफल सत्यापन, लिखित सहमति प्रस्तुत करने और बायोमैट्रिक पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थियों को खेल स्पर्धा अर्थात हॉकी में 20 अंकों का ट्रायल परीक्षण देना होगा. ट्रायल परीक्षण योग्यतापरक होगा. तथापि, ट्रायल परीक्षण में न्यूनतम कट ऑफ अंक 10 अंक होंगे.
	10.1.5	जो उम्मीदवार ट्रायल परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और भर्ती बोर्ड द्वारा अस्वीकृति पर्ची प्रदान की जाएगी, जिसमें अस्वीकृति के कारणों की सूचना दी जाएगी.
	10.1.6	ट्रायल परीक्षण को पुनः आयोजित करवाने की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा.
	10.2	**दक्षता परीक्षण:**
		ट्रायल परीक्षण में अर्हक घोषित सभी अभ्यर्थियों को खेल स्पर्धा में 40 अंकों के दक्षता परीक्षण से गुजरना होगा. दक्षता परीक्षण में न्यूनतम कटऑफ अंक 20 अंक होंगे.
	10.2.1	वे अभ्यर्थी, जो दक्षता परीक्षण में न्यूनतम योग्यतापरक अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें भर्ती बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए एक अस्वीकृति पर्ची दी जाएगी.
	10.2.2	मैरिट अभ्यर्थियों द्वारा दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों तथा हॉकी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र/उपलब्धि वाले अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.
	10.2.3	दक्षता परीक्षण के पुनः आयोजित करवाने की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा.
	10.3	**शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी):**
	10.3.1	ट्रायल एवं दक्षता परीक्षण में योग्य होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) से गुजरना होगा.
	10.3.2	अभ्यर्थियों के कद और वजन का माप अधिकारियों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा. वे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानकों को पूरा करेंगे, उन्हें भर्ती की अगली प्रकिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. शारीरिक मानकों का उल्लेख उपरोक्त पैरा 6.4 में विस्तार से दिया गया है.
	10.3.3	वे अभ्यर्थी, जिन्हें शारीरिक मानकों अर्थात् कद में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, वे उसी दिन, यदि वे चाहें, तो शारीरिक मापन में अपने चयन न किए जाने के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी को एक अपील कर सकते हैं. ऐसे अभ्यर्थियों का मापन उसी दिन अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनः मापन के लिए एक नई तिथि पर किया जाएगा. इस संबंध में, अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे किसी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. यदि अभ्यर्थी निर्धारित मानक के तहत योग्य पाया जाता है, तो उसे चयन प्रक्रिया के अगले चयन में भाग लेने के लिए अनुमत किया जाएगा.
	10.3.4	**निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी अस्वीकृति पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा. शारीरिक माप के समय वजन दर्ज किया जाएगा, लेकिन वजन के आधार पर फिटनेस पर निर्णय विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के समय किया जाएगा.** शारीरिक मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.
	10.4	**दस्तावेजीकरणः**
		वे अभ्यर्थी जो ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें दस्तावेजीकरण से गुजरना होगा. अभ्यर्थियों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी. वे अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए निरस्त करने संबंधी स्लिप देते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और **किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमत नहीं किया जाएगा.**
	(i)	शैक्षिक प्रमाण पत्र (12वीं पास अथवा इसके समकक्ष)
	(ii)	जन्म प्रमाण पत्र (मैट्रिक अथवा दसवीं पास होने का प्रमाण पत्र)
	(iii)	अजा/अजजा और अपिव और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो. यह क्रमशः **अनुलग्नक -III, IV एवं V** में यथानिर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए. जाति प्रमाण पत्र, जो विज्ञापन सूचना में दर्शाए गए अनुसार नही हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा.
	(iv)	पैरा-6.3 में यथा उल्लिखित खेल उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र.
	(v)	**परिशिष्ट- 'क' से 'घ'** के अनुसार, जैसा भी मामला हो, मान्यताप्राप्त संघों/परिसंघों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (प्रपत्र).
	(vi)	**अनुलग्नक-VI** में दिए गए प्रारूप के अनुसार, सरकारी/अर्द्ध-सरकारी विभागों में सेवारत व्यक्तियों के मामले में उनके कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण-पत्र.
	(vii)	अभ्यर्थी की चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से अंकित हो **(अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं हो).**
	(viii)	अभ्यर्थियों को अपने साथ **मूल रूप** में फोटो युक्त पहचान पत्र के प्रमाण जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड इत्यादि लाने चाहिए, जो उसने आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित/प्रयोग किए हैं.
	10.4.1	केऔसुब अपने विवेक से भर्ती के दौरान या बाद के चरण में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रमाण-पत्र की वास्तविकता की जांच या सत्यापन कर सकता है, और ऐसे सत्यापन/जांच के बाद केऔसुब का निर्णय अंतिम होगा.
	10.4.2	दस्तावेजीकरण पूरा होने के बाद, हॉकी में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र/उपलब्धि के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक (10 अंकों में से) प्रदान किये जाएंगे.
	10.4.3	**दस्तावेजीकरण में अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी.**
11.	**चिकित्सा परीक्षणः**	
	11.1	केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और दस्तावेजीकरण में अर्हता प्राप्त की है, उन्हें दक्षता परीक्षा में उनके प्रदर्शन और हॉकी स्पर्धा में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र/ उपलब्धियों के आधार पर दिए गए अंकों (10 अंकों में से) के अनुसार विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. **(चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से लगभग 02 (दो) गुणा होगी.**
	11.2	चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सीय जांच की जाएगी. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, दिनांक 20.05.2015 के गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती(एसएसबी) और दिनांक 31.05.2021 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई.32012/एडीजी(मेडि)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाइल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशा-निर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी. तथापि, बुलावा पत्र भेजने और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में फिट घोषित किए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी का चयन अंतिम रूप से हो गया है. इसलिए, ऐसे आधार पर चयन के उनके दावे को अंतिम चयन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अंतिम चयन वरीयता के साथ-साथ रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर होगा:
	11.3	अभ्यर्थी के घुटनों में टकराव न हो, समतल पैर, धनुषाकार पैर, आंखों में भेंगापन, बाई आंख बंद करने में असमर्थता, उंगलियों को बार-बार मोड़ने में असमर्थता, वैरिकॉस वेन और कोई अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए तथा उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए.
	11.4	**टैटूः** टैटू की अनुमेयता को निश्चित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैः-

	(क)	**विषय वस्तुः** एक धर्म निरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देश की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इसलिए, भारतीय सेना में अपनाए गए धार्मिक प्रतिक या आंकड़े और नाम को दर्शाने वाले टैटू की अनुमति दी जाती है.
	(ख)	**अवस्थितिः** शरीर के पारम्परिक हिस्सों जैसे अग्र भुजा के अंदरूनी हिस्से, लेकिन केवल बाईं अग्रभुजा अथवा हाथ के पिछले हिंस्से पर जिसका उपयोग सलामी देने में नहीं किया जाता है, पर खुदे हुए टैटू को अनुमत किया जाता है.
	(ग)	**आकार :** टैटू का आकार शरीर के विशिष्ट भाग (कोहनी अथवा हाथ) के 1/4 हिस्से से कम होना चाहिए.
	11.5	सभी मामलों में, जहां अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा में नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित किया गया है, को जांच चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अस्वीकृति के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा. विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें वे अनफिट होने के कारणों का संकेत देते हुए अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें. अभ्यर्थियों का आरएमई, डीएमई के अगले दिन अधिमानतः डीएमई की निरंतरता में आयोजित किया जाएगा. अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आरएमई के लिए सहमति डीएमई में अपनी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए.
	11.6	अभ्यर्थियों को **फिट** अथवा **अनफिट** घोषित किया जाएगा. किसी अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा.
	11.7	**समीक्षा चिकित्सा परीक्षा में समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों के विरूद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा.**
		टिप्पणीः रंग दृष्टि की जांच एक बार भर्ती के समय और एक बार बाद में बुनियादी प्रशिक्षण के समय की जाएगी.
12.	**अंतिम चयन/वरीयता सूची तैयार करनाः**	
	12.1	ट्रायल परीक्षा, दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी), दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा के पूरा होने के बाद अधिसूचित रिक्तियों के बराबर अंतिम मैरिट / चयन सूची तैयार की जाएगी.
	12.1.2	अभ्यर्थी को **01/01/2023 से 30/05/2025** की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए किसी एक उच्चतम मेडल के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे. यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक मैडल प्राप्त किए हैं, उस मामले में उस अभ्यर्थी को प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट/खेल में प्राप्त केवल उच्चतम मेडल/स्थान के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे.
	12.1.3	टीम स्पर्धाओं को नीचे दिए गए क्रम के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जाएगीः-

क. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/ चैम्पियनशिप	ख. राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप
1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता 2) द्वितीय रजत पदक विजेता 3) तृतीय कांस्य पदक विजेता	1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता 2) द्वितीय रजत पदक विजेता 3) तृतीय कांस्य पदक विजेता

	12.1.4	यदि समान अंक रहते हैं तो कम उम्र के खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी. यदि फिर भी समान अंक रहते हैं तो अभ्यर्थी के अंग्रेजी में नाम को वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी.
	12.1.5	**भर्ती के किसी भी चरण में सफलता, नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती, जब तक कि विभाग यह सत्यापित करने के बाद संतुष्ट न हो, जिसे विभाग आवश्यक समझे, कि अभ्यर्थी सभी दृष्टिकोणों से सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है.**
	12.1.6	अंतिम परिणाम केऔसुब भर्ती वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा.
	12.1.7	**कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई/रखी जाएगी.**
	टिप्पणी-I	परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं. उनका भर्ती के प्रत्येक स्तर पर प्रवेश पूर्णतः अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा. यदि ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और चिकित्सा जांच से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी.
	टिप्पणी-II	यदि, कोई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी आधार पर अयोग्य पाये जाते हैं या तथ्यों को छुपाते हैं, उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति तदनुसार निरस्त की जा सकती है.
13.	**निर्णयः** पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन के तरीकों, परीक्षाओं के आयोजन, भर्ती केन्द्रों के आबंटन, मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.	
14.	**न्यायालय क्षेत्राधिकारः** इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद की स्थिति उन न्यायालयों/अधिकरणों के अधीन होगी जिस शहर/कस्बे में संबंधित केऔसुब भर्ती केन्द्र स्थापित है और जहां पर अभ्यर्थी ने आवेदन किया है.	
15.	**अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देशः**	
	15.1	**पैरा-6.3 में यथा उल्लिखित किसी स्पर्धा/टूर्नामेंट/खेलकूद में प्रतिनिधित्व करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पर विचार उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में किया जाएगा.**
	15.2	वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अथवा अन्य किसी छूट का परीक्षा की अधिसूचना के प्रावधानों के आधार पर आरक्षण का लाभ चाहते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे उक्त आरक्षण/छूट के हकदार हैं. जब उनसे प्रमाण पत्र की प्रतियां मांगी जाएं, तो उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में संबंधित प्रमाण-पत्र होने चाहिए.
	15.3	**दिव्यांगजन/शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे.**
	15.4	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि पत्राचार ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है.
	15.5	अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम बिल्कुल वैसा ही दर्ज करना होगा जैसा मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दिया गया है.
	15.6	अपूर्ण सूचना/गलत सूचना/अधूरे अपेक्षित प्रमाण पत्र/तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने/अहस्ताक्षरित छोड़ देने के कारण आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा.
	15.7	एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा.
	15.8	जब आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिया जाता है तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा. अभ्यर्थी को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें. 'आवेदन पत्र' का प्रिंटआउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है.
	15.9	किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़ंत आवेदन/पंजीकरण के मामले में, अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.
	15.10	अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे. ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा. अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे.
	15.11	**भर्ती के दौरान, ''डोप नियंत्रण लागू किया जाएगा''**. यदि कोई अभ्यर्थी स्पर्धा के दौरान किसी ऊर्जावान दवाई/औषधि आदि का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी.
	15.12	अभ्यर्थी आवेदन भरने और ट्रायल/दक्षता/पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में किसी पूछताछ के लिए **हेल्प लाइन नंबर 011-24366431/24307933** पर संपर्क कर सकते हैं.
	15.13	भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 4-6 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होकर आना चाहिए. यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा.
	15.14	यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी.
	15.15	यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वे उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी.
	15.16	किसी भी प्रकार के अनुयाचन अथवा किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव डालने पर अभ्यर्थियों को स्वतः ही बिना किसी सूचना के परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
	15.17	कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए या किसी डमी का सहारा लेते हुए पाया गया तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अभ्यर्थी की नकल करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ आईपीसी/बीएनएस के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. ऐसे अभ्यर्थियों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भविष्य में होने वाली भर्तियों में आवेदन करने से रोक दिया जाएगा.
	15.18	दलाल के रूप में काम करने वाले या दलाल की मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ आईपीसी/बीएनएस के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा.
	15.19	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती के लिए आने से पहले ट्रायल/दक्षता परीक्षणों के लिए पर्याप्त अभ्यास करें. भर्ती प्रक्रिया/परीक्षा के दौरान किसी भी चोट/दुर्घटना या चिकित्सा समस्या के लिए केऔसुब या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी.
	15.20	उचित योग्यता, क्षमता, फिटनेस और स्पर्धा का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
	15.21	अभ्यर्थियों को भर्ती के सभी चरणों में उपस्थित होना होगा, जिसके लिए वे अर्हता प्राप्त कर चुके हैं. यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी चरण/कार्यक्रम से अनुपस्थित रहती है, जिसके लिए उसने अर्हता प्राप्त की है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी.
	15.22	हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा कोई भी प्रमाण-पत्र, हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कर सत्यापित करके लगा होना अनिवार्य है, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा.
	15.23	**केऔसुब के महानिदेशक बिना कोई कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.**
	15.24	विभाग को विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार है. इसके अतिरिक्त, यहां उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं.
	15.25	भर्ती प्रक्रिया के अंत में, चिकित्सा परीक्षण से गुजरना नियुक्ति की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि नियुक्ति का प्रस्ताव केवल आवंटित रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा.
	15.26	चयनित अभ्यर्थियों को सीआईएसएफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में बुनियादी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा, जिसके लिए उन्हें नियुक्ति पत्र के प्रस्ताव के माध्यम से सूचित किया जाएगा. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं. वे 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होंगे जिसे

		बढ़ाया जा सकता है. परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि वे किसी कारण से अनफिट पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी.
	15.27	केऔसुब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योग्य, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वोत्तम अभ्यर्थियों को भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे **''दलालों से सावधान रहें''**.
	15.28	नियुक्ति का प्रस्ताव भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है. इस प्रकार, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी पिछले चरण (चिकित्सा परीक्षा सहित) में अर्हता प्राप्त करने से किसी भी अभ्यर्थी को पद पर चयन या नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है.
	15.29	इस अधिसूचना में उल्लेखित निर्देशों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा.

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

दलालों से सावधान रहें. केऔसुब में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है. यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है और आप पैसे खो रहे हैं. यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है, तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी (पीओ) और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें या ई-मेल के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम ac-rectt@cisf.gov.in पर सूचित करें.

अनुलग्नक-I

(ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I.	वन टाइम रजिस्ट्रेशन
II.	परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना

भाग-1 (वन टाइम रजिस्ट्रेशन)

अभ्यर्थी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक स्थायी डेटाबेस होगा. केऔसुब द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा. ऑनलाइन **'पंजीकरण फॉर्म'** और **'आवेदन पत्र'** भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले निम्न सूचना/दस्तावेजों को तैयार रखें -

(क) मोबाइल नं. (ख) ई-मेल आईडी

पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करें:-

1.	केऔसुब की आधिकारिक वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर लॉग ऑन करें.
2.	होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें.
3.	नया पेज प्रदर्शित होगा. "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें.
4.	वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है: क. मूल विवरण ख. अतिरिक्त और संपर्क विवरण ग. घोषणा.
5.	**'वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म' भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें:**
क.	व्यक्तिगत विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के संबंधित कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके. यदि मूल और सत्यापित डाटा कॉलम के आंकड़ों से मेल नहीं है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक अलग संकेत बॉक्स दिया जाएगा.
ख.	अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं. यदि, मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें.
ग.	अपने पिता का नाम ठीक से भरें.
घ.	अपनी माता का नाम ठीक से भरें.
ङ.	अपनी जन्मतिथि ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है.
च.	अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें.
छ.	सबमिट बटन पर क्लिक करें. नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा.
ज.	अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें.
झ.	अपना क्रियाशील मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी भरें. यह भी नोट कर ले कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल-आईडी पर ही भेजी जाएगी. यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा.
ञ.	'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो **'फाइनल सबमिट'** बटन पर क्लिक करें.
ट	पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज लिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा.
ठ.	अपनी पंजीकरण-संख्या का "यूजरनेम'' के रूप में और आपके ईमेल पर प्रदान किए गए ''ऑटो-जेनरेटेड पासवर्ड'' का उपयोग करके लॉगिन करें.
टिप्पणी	आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरा जाना चाहिए जैसा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है. त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी के मामले में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है.

अनुलग्नक-II

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1\. **ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें :**

क) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो). फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए. **जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए. फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे. धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे.**

ख) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी). हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. **अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा.**

ग) पीडीएफ प्रारूप में सभी संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां **(01 एमबी से अधिक नहीं)**, उम्र के संबंध में (अर्थात जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक / एसएसएलसी/10 वीं प्रमाण पत्र, मूल निवास और अन्य शैक्षणिक योग्यता की तारीख) अपलोड करें.

2\. केऔसुब की आधिकारिक वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर लॉग ऑन करें और अप्लाई पार्ट टैब पर क्लिक करें.

3\. नया पृष्ठ खुलेगा और आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

4\. पंजीकृत अभ्यर्थी केऔसुब भर्ती वेबसाइट अर्थात **https://cisfrectt.cisf.gov.in** में पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अपने अनंतिम 'पंजीकरण आईडी और पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं.

5\. नया पेज प्रदर्शित होगा और **"केऔसुब में प्रधान आरक्षक/जीडी (स्पोटर्स कोटा) हॉकी स्पर्धा महिला खिलाड़ियों की भर्ती -2025"** के बटन पर क्लिक करें.

6\. **"केऔसुब में प्रधान आरक्षक/जीडी (स्पोटर्स कोटा) हॉकी स्पर्धा महिला खिलाड़ियों की भर्ती-2025"** के बटन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी जिसमें आवेदन पत्र होगा. पंजीकरण प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी द्वारा पहले भरा गया डेटा/विवरण, आवेदन पत्र में संबंधित क्षेत्रों में स्वतः भर जाएगा. शेष खाली क्षेत्र अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण बहुत सावधानी से भरें.

7\. अभ्यर्थी द्वारा एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भरे जाने के बाद, उसे नीचे की तरफ दो बटन **"सेव एंड प्रीव्यू"** और बंद करें दिखाई देंगे, यदि अभ्यर्थी बंद करें बटन पर क्लिक करता है तो वह आवेदन पत्र को संपादित कर सकेगा. कोई विवरण सहेजा नहीं जाएगा .

8\. एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह आपके द्वारा भरे गए सभी डेटा/विवरणों को सहेज लेगा.

9\. उपरोक्त क्र. सं.-1 (क) में यथा विनिर्दिष्ट, अपना हाल का फोटो अपलोड करें जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह अधिक पुरानी न हो)

10\. क्रमांक संख्या- 1 (ख) में यथा निर्दिष्ट अपना हस्ताक्षर अपलोड करें. धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा.

11\. आयु के प्रमाण के लिए मैट्रिक/एसएसएलसी/10वीं प्रमाणपत्र, वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा/12वीं प्रमाणपत्र, मूल निवास और कोई अन्य उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की स्कैन की हुई क्र. सं.-1 (ग) में यथा विनिर्दिष्ट, प्रति अपलोड करें.

12\. सभी आवश्यक दस्तावेज और छवि अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले भुगतान बटन पर भुगतान करने के लिए जारी बटन पर क्लिक करें.

13\. अब 'भुगतान' विंडो दिखेगी. जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि आप शुल्क छूट के पात्र हैं और उन्हें **'आवेदन प्रिंट करें'** का विकल्प मिलेगा.

14\. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें.

15\. शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है. यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा करने के लिए चालान फॉर्म प्राप्त होता है. चालान फॉर्म प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए. इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकता पूरी हो जाती है. बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेगा और केऔसुब को भेजेगा. इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं. 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है.

16\. भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं. उन्हें पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय अपनी पात्रता के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट जमा करना होगा.

चेतावनी:

(क) अभ्यर्थियों को सभी पंजीकृत डेटा को ध्यान से सत्यापित करना चाहिए. यदि किसी डेटा का गलत उल्लेख किया गया है, तो उसे **'संपादित करें'** बटन पर क्लिक करके संपादित किया जा सकता है.

(ख). **"सबमिट"** बटन पर क्लिक करने पर, अब तक दर्ज किया गया डेटा/विवरण सर्वर में सहेजा जाएगा. यदि अभ्यर्थी ''संपादित करें'' बटन पर क्लिक करता है, तो डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा और अभ्यर्थी पंजीकरण विंडो/प्रक्रिया से बाहर निकलने में सक्षम होगा.

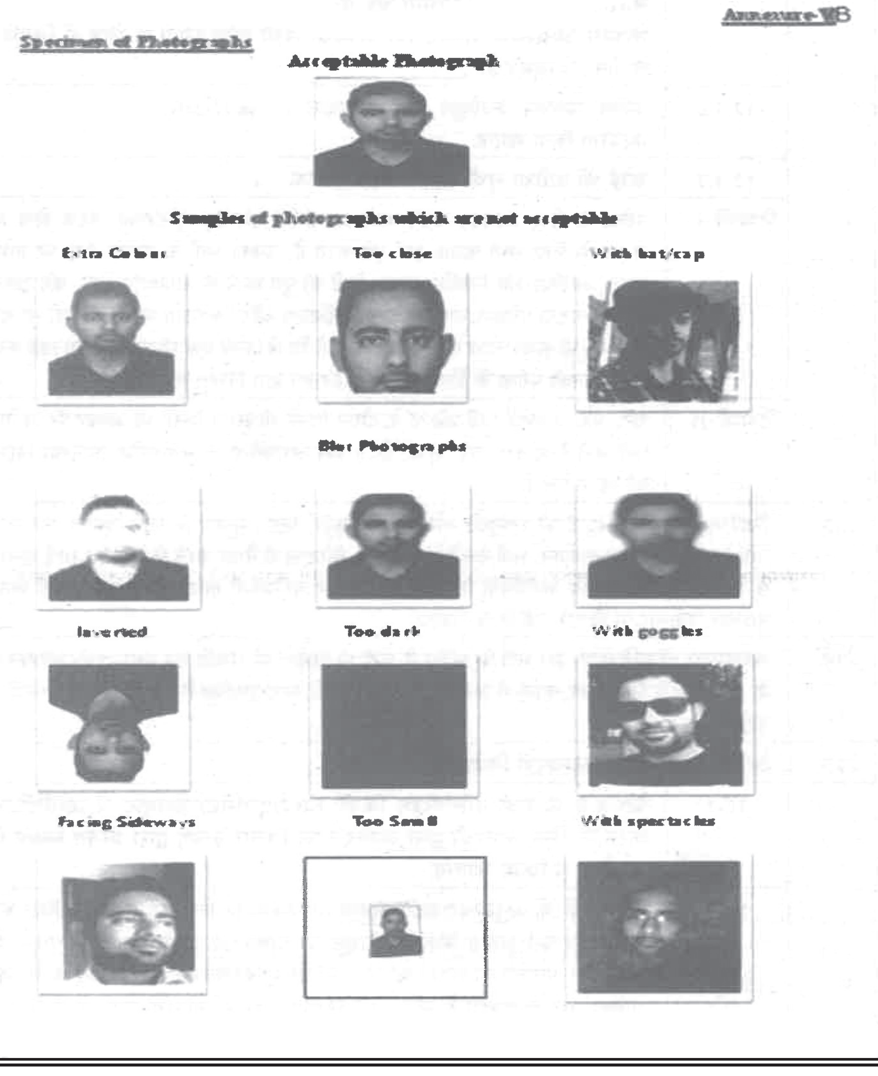

अनुलग्नक-III

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी * .... पुत्र/पुत्री श्री ....गांव/नगर * .... जो जिला/खंड * .... राज्य/संघ शासित क्षेत्र * .... जाति/जनजाति से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति' के रूप में की गई है:-

@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
@ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) संघ शासित क्षेत्र आदेश, 1951*
@ * संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) संघ शासित क्षेत्र आदेश, 1951* (अनुसूचित जाति और जनजाति सूचियां (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा यथासंशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)
@ संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
@ संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
@ संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@ संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@ संवैधानिक (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
@ संवैधानिक (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
@ संवैधानिक (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
@ संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@ संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@ संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@ संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
@ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
@ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991
@ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002
@ संवैधानिक (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित.

2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में अप्रवजन कर गए हों.

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती * .... को, श्री/श्रीमती/कुमारी*.. के पिता/माता..गांव/नगर* ....जिला/खंड * ....राज्य/संघ शासित क्षेत्र * ....के सामान्य निवासी हैं जो कि ....जाति/जनजाति* से संबंधित हों जिसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र...................................द्वारा जारी किए गए ....(जारी करने वाला प्राधिकृत प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या ....दिनांक ....को जारी किया गया है.

3. श्री/श्रीमती/कुमारी * .... और/अथवा */उसका * परिवार सामान्य रूप से गांव/नगर* ....जिला/खंड * ....राज्य/संघ शासित क्षेत्र * .... में रहते हैं.

स्थान........................ **दिनांक**		**हस्ताक्षर**.......................... **** पदनाम**................................. **(कार्यालय की मुहर सहित)** **राज्य/संघ शासित प्रदेश**

* जो शब्द लागू न हो वे हटा दिये जाएं.

@ कृप्या राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें.

% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो.

टिप्पणी : यहां ''सामान्य'' रहते हैं शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है.

** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची.

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)

(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो.

(iv) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्यतः निवास करते हैं.

(v) प्रशासक/ विकास अधिकारी (लक्षद्वीप) के प्रशासक/सचिव

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के आवेदक केवल राजस्व प्रभाग अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.

अनुलग्नक-IV

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री, श्री....... ....गांव/नगर...जिला/प्रभाग.......................... राज्य/संघ शासित क्षेत्र.......................................के ....समुदाय से संबंधित है, जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या .... दिनांक.......................* के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है. श्री/श्रीमती/कुमारी...और/अथवा उनका/उनके परिवार .... राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल... में सामान्य रूप से रहते हैं. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुरुष/महिला, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं.

दिनांक....................................

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि
(कार्यालय की मुहर सहित)

* प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है.

** समय-समय पर यथा संशोधित.

टिप्पणी :- यहां ''सामान्य'' शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है.

अनुलग्नक-V

...सरकार
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्तियों का प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं. .... **दिनांक**..........................

..................वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री/पत्नी...ग्राम/गली..डाकघर ....जिला...पिन कोड...................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उस पुरुष/महिला के परिवार** की कुल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष ....के लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है. उस पुरुष/महिला के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई परिसंपत्ति*** नहीं है:-

I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;

II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड.

2. श्री/श्रीमती/कुमारी......................................जो..जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यताप्राप्त नहीं हैं.

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

हस्ताक्षर, कार्यालय की मुहर सहित ....
नाम..
पदनाम..

*** नोट**: 1. आय में सभी स्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं.

**** नोट** : 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उस पुरुष/महिला के माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं.

***** नोट**: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में ''परिवार'' की संपत्ति को एकीकृत किया गया है.

 # आय एवं परिसंपत्ति के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त

(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो.

(iv) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में अभ्यर्थी और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्य रूप से निवास करते हैं.

अनुलग्नक-VI

केऔसुब कार्मिकों सहित सरकारी विभागों/उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

**** प्रमाणित किया जाता है कि:-**

1. श्री/कुमारी/श्रीमती...केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अंतर्गत ....के रैंक में एक स्थायी/अस्थायी पद धारक हैं.
2. उन्होंने ....को इस विभाग/अधिकारी के पास अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है.
3. श्री/कुमारी/श्रीमती...का केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्ति हेतु चयन होने पर उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा.

स्थान:..

दिनांक:..

कार्यालय मुहर के साथ कार्यालय/विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

टिप्पणी : सरकारी सेवा में पहले से ही सेवारत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन-पत्र उपर्युक्त प्रमाण-पत्र के साथ उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा.

परिशिष्ट -'क'

प्रपत्र-1

(मान्यताप्राप्त खेलों/खेलकूद गतिविधियों में से किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

...का राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय संघ

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोज़गार हेतु एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... निवासी .... (पूरा पता) ने देश का प्रतिनिधित्व दिनांक .... से.......................... तक.................. में संपन्न हुई .... प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में किया.

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान .... रहा.

यह प्रमाण पत्र ....के राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है.

स्थानः .... हस्ताक्षर..

दिनांकः .... नाम..

पदनाम..

संघ/राष्ट्रीय परिसंघ का नाम..........................

पता..

मुहर..

टिप्पणीः यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राष्ट्रीय संघ /राष्ट्रीय परिसंघ के सचिव द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो.

परिशिष्ट -'ख'

प्रपत्र-2

(मान्यताप्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत के एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

.... के खेल में .... का एक राज्य फेडरेशन.

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोज़गार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/ पत्नी/सुपुत्री .... निवासी .... (पूरा पता) ने दिनांक............ ..से.............. तक......... .... में संपन्न हुई .... प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व किया.

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान .... था.

यह प्रमाण पत्र .... राज्य परिसंघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है.

स्थानः .... हस्ताक्षर..

दिनांकः .... हस्ताक्षर..

नाम..

पदनाम..

राज्य परिसंघ का नाम..........................

पता..

मुहर..

टिप्पणीः यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राज्य परिसंघ के सचिव द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो.

परिशिष्ट -'ग'

प्रपत्र-3

(मान्यताप्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक स्पर्धा में अन्तर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में एक विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

...विश्वविद्यालय

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोज़गार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... निवासी .... (पूरा पता) ने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व दिनांक......................से............. तक.................. में संपन्न हुई .... प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में ....खेल/स्पर्धा में किया.

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान ....था.

यह प्रमाण पत्र .... विश्वविद्यालय में समग्र प्रभार के अधिकारी अथवा खेलों के डीन के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है.

स्थानः .... हस्ताक्षर..

दिनांकः .... नाम..

पदनाम..

विश्वविद्यालय का नाम..........................

पता..

मोहर..

टिप्पणीः यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे ....विश्वविद्यालय के खेलों के समग्र प्रभार के अधिकारी अथवा खेलों के डीन द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो.

परिशिष्ट -'घ'

प्रपत्र-4

(मान्यताप्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक में विद्यालय के लिए राष्ट्रीय खेलों में राज्य विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

...................................राज्य का लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेशालय

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोज़गार प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी को प्रमाण पत्र.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... निवासी ....(पूरा पता) ने दिनांक.............. से........... तक.............में आयोजित स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलों में............. खेल/स्पर्धा में .... राज्य विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया.

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान ....था.

यह प्रमाण पत्र .... लोक अनुदेशक/निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है.

स्थानः .... हस्ताक्षर..

दिनांकः .... नाम..

पदनाम..

पता..

मोहर..

टिप्पणीः यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राज्य के लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेशालय में स्कूलों के लिए खेल/खेलकूद के समग्र प्रभार के निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो.

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.)
(A Central University)

विज्ञा. सं. **R/A-NT/2025/03** **दिनांक : 26.04.2025**

रोजगार समाचार

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश, भारत के विभिन्न गैर-शिक्षण और अन्य शैक्षणिक पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.

पात्र उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट (नीचे उल्लिखित लिंक) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए और आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी स्पीड/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही सभी सहायक दस्तावेजों/प्रशंसापत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ जमा करनी चाहिए.

ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथिः 26.04.2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथिः 25.05.2025

आवेदन पत्र की हार्डकॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथिः 02.06.2025

ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक-

पोस्ट कोड 1 से 7 के लिए - https://dhsgsunt.samarth.edu.in

पोस्ट कोड 8 से 10 के लिए - https://curec.samarth.ac.in

रिक्तियों का विवरण (पद का नाम, ग्रुप, वेतनमान, रिक्तियों की संख्या):

पोस्ट कोड	पदनाम	वेतन स्तर (7वां सीपीसी)	समूह	रिक्तियों की संख्या और आरक्षण	भर्ती का प्रकार
1.	वित्त अधिकारी*	14	A	01-अना	कार्यकाल
2.	परीक्षा नियंत्रक	14	A	01-अना	कार्यकाल
3.	कार्यकारी अभियंता (सिविल)	11	A	01-अना	प्रतिनियुक्ति
4.	जनसंपर्क अधिकारी	10	A	01-अना	सीधी भर्ती
5.	तकनीकी अधिकारी	10	A	01-अना**, 01-PwBD#	सीधी भर्ती
6.	सिस्टम विश्लेषक	10	A	01-अना	सीधी भर्ती
7.	हिंदी अधिकारी	10	A	01-अना	प्रतिनियुक्ति/ संविदात्मक
8.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	AL-13A	A	01-अना	सीधी भर्ती
9.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	AL-10	A	01-अना	सीधी भर्ती
10.	सहायक निदेशक (शारीरिक)	AL-10	A	01-अना	सीधी भर्ती

*अवशिष्ट अवधि (01 वर्ष 8 महीने 27 दिन) के लिए कार्यकाल के आधार पर प्रथम वित्त अधिकारी.

**ग्रहणाधिकार रिक्ति यदि नियमित पदधारी (ग्रहणाधिकार धारक) दी गई अवधि के भीतर अपने मूल पद पर वापस नहीं आता है तो ग्रहणाधिकार रिक्तियों को नियमित किया जा सकता है. यदि नियमित पदधारी अपने मूल पद पर वापस लौटता है, तो ग्रहणाधिकार रिक्ति को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा और नियुक्त व्यक्ति को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा.

#PwBD रिक्ति

योग्यता, पात्रता मानदंड, अन्य विवरण और अपडेट के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.dhsgsu.edu.in** पर जाएं.

यदि कोई हो तो शुद्धिपत्र केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा.

रजिस्ट्रार (स्थापन्न)

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वें रु 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। — **संपादक**

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों/संस्थानों की अपनी हैं। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। — **संपादक**

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
धर्मपाल मीना
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
डॉ. संजीव सोलंकी
सहायक निदेशक (प्रकाशन), राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पताः सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001

e-mail—adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक (प्रकाशन) द्वारा मितश्योर टेक्नोलॉजीज एलएलपी, बी. 121 मंगल मार्ग बापूनगर, जयपुर 302015 (राज.) (प्रिंटिंग प्रेस, बी.-26 विजय मुकुन्दपुरा नायला रोड, कानोता, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक- डॉ. संजीव सोलंकी